19/2020

11.1.23 पत्रावली पेश हुई।

वकील प्रार्थी उपस्थित।

प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई।

प्रार्थी वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 की संयुक्त खातेदारी एवं पैतृक सम्पति की भूमि मौजा भुंका भगतसिंह में खसरा न. 401 रकबा 12 बिघा 15 विस्वा, खसरा न. 435 रकबा 8 बीघा 5 विस्वा, खसरा न. 540 रकबा 50 बिघा 3 विस्वा, खसरा न. 544 रकबा 102 बिघा 7 विस्वा, खसरा न. 522 रकबा 28 बिघा 12 विस्वा व खसरा न. 539 रकबा 4 विस्वा, कुल रकबा 202 बिघा 6 विस्वा की अई हुई थी, जिसका पर्चा लगान जसा, भिंया, डालु, पिसरान, अचला के नाम दर्ज हुआ। कालान्तर में सन् 1981 में जसा के फोत होने पर उक्त भुमि जरिये नामान्तरण संख्या 393 जसा के पुत्र हीराराम के नाम अंकित हुई तथा सन् 2007 में डालु के फोत होने पर उक्त भूमि जरिये नामान्तकरण संख्या 202 के डालु के वारिसान फुसाराम, पदमाराम, गोरधनराम, देवाराम व रूखमो देवी पत्नि डालुराम के नाम दर्ज हुई तथा भींयाराम पहले लाओलाद फोत हो चुका था। इसके बाद सन 2010 में श्रीमान उप तहसीलदार सिणधरी के आदेश से उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि का हीराराम व डालुराम के वारीसो ने आपस में आपसी सहमती से विभाजन करवा लिया । जिसके तहत हीराराम पुत्र जसाराम के हिस्से में ख.न. 522 रकबा 14 बिघा 6 विस्वा ख.न. 539 रकबा 4 विस्वा, ख.न. 540 रकबा 7 बिघा 10 विस्वा 540/1 रकबा 17 बिघा 7 विस्वा, तथा ख.न. 544 रकबा 51 बिघा 3 विस्वा कुल रकबा 90 बीघा 10 विस्वा भुमि बंट में अई तथा खसरा नम्बर 401 रकबा 6 बिघा 8 विस्वा तथा खसरा न. 435 रकबा 4 बिघा 2 विस्वा कुल रकबा 10 बिघा 10 विस्वा भुमि बंट में अई जिसका नामान्तकरण क्रमशः संख्या 1351 व 354 भरे गये। इसी प्रकार मौजा भुंका भगतसिंह एवं भुंका भगतसिंह से नवसर्जित गांव कालुओणी [illegible] ढाणी में प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 की संयुक्तखातेदारी एवं [illegible] सम्पति की भुमि खसरा नम्बर 522, 539,540,540/3 व 544 [illegible] क्रमशः 14.06 बीघा, 0.04 बीघा, 7.10 बीघा, 17.07 बीघा व 51.0[illegible] बीघा कुल 90.10 बीघा तथा खसरा नम्बर क्रमशः 435,401 रकबा क्रमशः 4.02 बीघा व 6.08 बीघा कुल 10.10 बीघा की उपरोक्त भुमि का पर्चा लगान प्रार्थी के पड़दादा जसाराम के नाम जारी हुआ था नकल बन्दोबस्त साथ पेश है

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.01.17 15:34:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

जसाराम सन् 1981 में फोत हो गया। तो जसाराम के फोत होने पर उपरोक्तभुमि जरिये फोतगी नामान्तरण संख्या 393 से प्रार्थी के दादा हिराराम के नाम दर्ज हुई तथा वर्तमान मे उक्त भुमि प्रार्थी में दादा हिराराम के नाम दर्ज है । इस प्रकार उक्त भूमि ख.न. 522,539,540,540/3,544,435,401 पैत्रक आराजी की भुमि है तथा हिन्दु विधि अनुसार पिता तथा दादा के जीवन काल में ही पुत्रों के अधिकार पैतृक आराजी मे जन्म के साथ ही पैदा हो जाते है। वर्तमान में विप्रार्थी संख्या 1 हिराराम अपने पुत्रो विप्रार्थी संख्या 2 से 5 तथा अन्य व्यक्तियों के बहकावे में आकर प्रार्थी के हितों की अनदेखी कर एक राय होकर इस प्रार्थी के कब्जा काश्त आराजी को बेचने पर उतारू है और इस बाबत आज से 15 दिन पूर्व विप्रार्थीगण संख्या 1 ने वादी व उसकी माता को यह धमकियां दे चुका है कि हमें अपने स्वयं के नाम से दर्ज उपरोक्त खसरा नम्बरान भूमि का बैचान किसी अजनबी व्यक्ति को कर दूंगा और तुम्हे तुम्हारे हिस्से से वंचित कर दूंगा तथा उपरोक्त भुमि से तुझे बैदखल कर दूंगा जबकी विद्यार्थी संख्या 1 के परिवार कि ऐसी कोई वैध आवश्यकता नहीं है जिस कारण भूमि का बैचान आवश्यक हो परन्तु विप्रार्थी संख्या एक अपनी निजी तथा भौतिक आवश्यकताओं की पुर्ति के लिये तथा प्रार्थी को उसके हकुकों से वंचित करने के उदेश्य से उपरोक्त खसरा नम्बरान की भुमि का बैचान करने पर उतारू है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए प्रार्थी के पक्ष में इस प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का आदेश प्रदान करावें की विप्रार्थी सं. 1 मौजा भुंका भगतसिंह में स्थित उपरोक्त खेत खसरा नम्बर 522, 539, 540, 540/3, 544 कुल रकबा 90 बिघा 10 विस्वा व मौजा कालुऔणी डुडियों की ढाणी में स्थित उपरोक्त खेत खसरा नम्बरान 435, 401 कुल रकबा 10 बिघा 10 विस्वा भूमि का बैचान इत्यादि नहीं कर मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

हमनें प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन एवं परीक्षण किया जिसके अनुसार पाया गया कि वादग्रस्त भूमि के संबंध मे [illegible] इस्तदुआ अनुसार उक्त भूमि पैतृक पुश्तैनी होने पर उसका खातेदार [illegible] हिन्दु उतराधिकार अधिनियम व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार विवादित आराजी में प्रार्थी का विप्रार्थी सं. 1 के साथ सामुहिक रूप से हिस्सा बनता है का निस्तारण मूल वाद के जरिये साक्ष्य /सबूत के आधार पर पक्षकारान की सुनवाई निर्णित किया जाना है, परन्तु राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी जो कि रिकार्डेड खातेदार नहीं होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.01.17 15:34:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

उनके एक मात्र अभिकथनों के आधार पर किसी पक्षकार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना अदालत को प्रथम दृष्टया न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
SDO गिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.01.17 15:34:21 IST
Reason: SelfAttested